न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 75/2015
GCMS NO. : 2022/00146

–: प्रार्थी :–

1. धापूदेवी पत्नी प्रेमराज
   जाति–ब्राह्मण निवासी–फालका,
   तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर.
2. लाखाराम पुत्र निहालराम,
   जाति–जाट, निवासी–फालका,
   तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. बंसतकुमार दत्तक पुत्र
   मिश्रीलाल, जाति–ब्राह्मण,
   निवासी–फालका,
   तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर
2. पुखाराम पुत्र सम्पतराज,
   जाति–दमामी
3. मनोज पुत्र सम्पतराज,
   जाति–दमामी,
   निवासीगण–फालका,
   तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर
4. तहसीलदार जैतारण जिला
   ब्यावर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 17/05/2022

उपस्थितः–1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2.श्री शाकीर हुसैन, श्री अमित त्रिपाठी, बृजेश कुमार अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 04/07/2024**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का–फालका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर, राज0 में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 322/1 रकबा 0.7365 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी का बंटवाडा हो रखा है प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है नकल जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 की प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। सरहद मौजा–फालका, पटवार हल्का–फालका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर, राजस्थान में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के उत्तरी दिशा की तरफ अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 322 रकबा 0.7365 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के दक्षिणी दिशा की तरफ अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 323 रकबा 17644 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है, उपरोक्त अप्रार्थीगण की कृषि भूमि जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तरी, दक्षिणी व पश्चिम मे स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:26:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

है। नकल जमाबन्दी अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि प्रार्थीगण के अकेले की कृषि भूमि है और मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है प्रार्थीगण की भूमि राजस्व रेकर्ड के नक्शे मे अलग से तरमीम है तथा मौके पर भी उक्त आराजी अलग से बंटी हुई है। जिसके चारो तरफ माठे कायम है। परन्तु अप्रार्थीगण जिसकी की कृषि भूमि प्रार्थीगण से अलग है और उसकी भूमि भी अलग से मौके पर बंटी हुई है माठ कायम है परन्तु अप्रार्थीगण बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थीगण की जमीन की मौके पर माठे तोडकर दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया एवं आये दिन सीमाज्ञान व मांठ को लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते है। अप्रार्थीगण जो कि बदमाश एवं आपराधिकृत प्रवृति के होने से प्रार्थीगण को बेवजह हैरान परेशान करते है जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की जमीने अलग अलग बटी हुई है मौके पर माठे कायम है परन्तु अप्रार्थीगण जानबुझकर के मांठ को लेकर विवाद करता है और बार बार कभी खन्दक को बिखेर देता है कभी तारबन्दी हटा देते है व कभी मांठ हटा देते है इस प्रकार बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण की भूमि मे दखलन्दाजी करता है और सीमा को लेकर विवाद करता है इसलिए प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र कराने सीमाज्ञान का विरूद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में काश्त करने लगी तो अप्रार्थीगण सीमा को लेकर विवाद किया तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से सीमाज्ञान करवाने का भी निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण सीमाज्ञान करवाने के लिये भी रजामन्द नही हो रहे है और प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन मे हक जताना शुरू कर दिया और दिनांक 19/04/2022 को प्रार्थीगण के खेत के चारो तरफ लगी मांठो को भी बिखेर दिया और विवाद करने लगा जबकि प्रार्थीगण की भूमि मे अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नही है परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण अपनी हरकतो से बाझ नही आ रहे है और जबरदस्ती खन्दक को हटाकर विवाद शुरू कर दिया जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे अलग से दर्ज है परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण गेरकानूनी तरीके से विधिविरूद्ध रूप से पिछले काफी दिनो से सीमा को लेकर विवाद कर रहा है और प्रार्थीगण की कृषि भूमि के चारो तरफ कायम मांठ को बिखेर कर अपना हक जता रहा है तथा प्रार्थीगण के उसके हक हिस्से की भूमि के चारो तरफ पटिया रोपकर तारबन्दी नहीकरने देते है जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की जमीनों के बीच मे लम्बे समय से मांठ कायम है परन्तु अप्रार्थीगण जो कि बदमाश एवं आपराधिक प्रवृति का होने से प्रार्थीगण की जमीन को सीमा विवाद करके जमीन हडपना चाहता है। अप्रार्थीगण की नियत शुरू से ही गलत है और वह कानून हाथ मे लेकर गैरकानूनी कृत्य करते है सीमा विवाद खड़ा कर दिया इसलिए प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की और से विरूद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 19/04/2022 को अप्रार्थीगण द्वारा सीमा विवाद करने पर नापचौप

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:16:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

करवाने एवं सीमाज्ञान का कहने पर अप्रार्थीगण स्पष्ट इन्कार हो गया तब प्रार्थीगण ने दिनांक 19/04/2022 को तहसीलदार जैतारण को अपनी भूमि का नापचौप कर सीमाज्ञान करने का आग्रह किया तो अप्रार्थी संख्या 4 ने यह कहते हुए आग्रह ठुकरा दिया कि मौके पर विवाद है इसलिए वह सीमाज्ञान नहीं कर सकते है तब प्रार्थीगण के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी सरहद मौजा फालका तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित होने से उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष निर्धारित न्याय शुल्क पर सादर पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शाकिर हुसैन ने वकालतनामा पेश किया, जो शा.मि. है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद सम्मन/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता मय अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

अधिवक्ता मय अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 322/1 रकबा 0.7365 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम ग्राम-फालका, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर, राज0 में आई हुई होने के कथन सही होने से जबाब देहन्दा स्वीकार करता है। इस पद मे वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 322 रकबा 0.7365 हैक्टयर व खसरा नम्बर 323 रकबा 1.7644 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा फालका मे आई हुई है सही है। खसरा नम्बर 322 जबाब देहन्दा की खातेदारी हक अधिकार की भूमि है जिसके चारो और वर्षो पूर्व मिट्टी की बडे पाले लगाकर तारबन्दी कर पत्थरगड्डी कर रखी है ओर प्रार्थी एवं जबाब देहन्दा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 322/1 व 322 के मध्य वर्षो पूर्व मिटटी के बाडे पाले लगे हुए है और जबाब देहन्दा ने अपने हक अधिकार की भूमि पर वर्षो पूर्व पटियां खडी कर तारबन्दी कर रखी है। प्रार्थीगण व जबाब देहन्दा के हक अधिकार की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड नक्शे व मौके पर अलग-अलग बंटी हुई है तथा जबाब देहन्दा के हक अधिकार एवं खातेदारी भूमि के चारों और मिटटी के पाले लगाकर पटिया खडी कर तारबन्दी कर रखी है मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी भूमि का अपनी मर्जी अनुसार उपयोग कर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा इस पद मे यह कथन उल्लेख करना कि प्रार्थीगण की जमीन की मौके [illegible] मांठे तोडकर अप्रार्थीगण दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया और आये दिन सीमाज्ञान एवं मांग को लेकर हमेशा विवाद करते है के कथन गलत है। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थीगण ने अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:16:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

प्रार्थनापत्र मे प्लीड कर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि मौके पर बंटी हुई है और चारो और मांठे कायम कर पाले लगा रखे है तो ऐसी स्थिति मे विवाद होने का प्रशन ही पैदा नही होता है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि के चारो और स्थित मांठो को तोडते तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई आपराधि प्रकरण दर्ज करवाते परन्तु अप्रार्थीगण ने आज तक मौके पर ऐसा कुछ किया ही नही। प्रार्थीगण केवल मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के उदेश्य से एवं नाजायज जरूरत से दबाव बनाने के उदेश्य से जबाब देहन्दा की भूमि कोखरीदना चाहता है और जबाब देहन्दा ने बेचान करने से मना कर दिया इसलिए यह आधारहीन अनावश्यक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज के है। इसके अलावा इस पद मे वर्णित तमाम कथन गलत झुठे बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दा स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमिया मौके पर शुरू से ही बंटी हुई है तथा सभी कृषि भूमियो के चारो और बडे बडे मिट्टी के पाले लगाये हुए है और सभी पक्षकारान् अपने अपने हक हिस्से की भूमि का अपनी मनमर्जी अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और मौके पर आज तक कोई उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर कोई विवाद नही हुआ इसलिए सीमाज्ञान करवाने का कोई प्रशन ही पैदा नही होता है। दिनाक 19/04/2022 या अन्य किसी दिनांक को जबाब देहन्दा ने प्रार्थीगण के हक अधिकार की भूमि के चारो और स्थित मांठो को ना तो बिखेरा व न ही किसी प्रकार का विवाद किया यदि ऐसा किया जाता तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करते। प्रार्थीगण ने केवल मात्र जबाब देहन्दा पर नाजायज दबाव बनाने के लिये झुठे मनगढन्त तथ्यो का समावेश कर यह निराधार प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि का अपनी मनमर्जी अनुसार उपयोग उपभोग आज तक करते चले आ रहे है जिसमे जबाब देहन्दा ने किसी प्रकार की आज तक दखलन्दाजी नही की।यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी कृषि भूमि के खातेदार के स्वय के खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग मे कोई अन्य व्यक्ति किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी करता है तो उसके लिये धारा 128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावधान लागु नही होते है बल्कि धारा 188 राज॰ काश्त॰ अधि॰ के प्रावधान लागु होते है और प्रार्थीगण ने जानबुझकर उक्त रेमेडी को अवेल नही कर यह निराधार प्रार्थनापत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हक हिस्से व अधिकारो की खातेदारी भूमियो के चारो और मौके पर वर्षो पूर्व मिटटी के पाले लगाये हुए है जो आज भी विद्यमान है और [illegible] कभी भी पक्षकारान् के मध्य उक्त कृषि भूमि के नापचौप एवं सीमाज्ञान को [illegible] कोई विवाद नही हुआ तो ऐसी स्थिति में दिनांक 19/04/2022 या अन्य किसी भी दिनांक को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को नापचौप करवाने एवं सीमज्ञान करवाने के कथन अपने आप में असत्य है। दिनांक 19/04/2022 को ही प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार जी जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:16:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

को अपनी भूमि का नापचौप व सीमाज्ञान करने का आग्रह किया जो नामंजुर है। यहां पर यह स्ष्ट किया जाता है कि धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 116 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत भूमिधारी तहसीलदार जी को कृषि भूमि के नापचौप करवाने एव सीमज्ञान करवाने बाबत् लिखित मे आवेदन कर नियमानुसार राशि जमा करवाकर रसीद कटवाना मेण्डेटरी प्रावधान है और इस प्रकरण में प्रार्थीगण ने भूमिधारी तहसीलदार जी के समक्ष उक्त कृषि भूमि का नापचौप एवं सीमाज्ञान करवाने बाबत् न तो कोई आवेदन प्रस्तुत किया न ही कोई नियमानुसार राशि अदा की व न ही ऐसी कोई रसीद एव आवेदन पत्र इस प्रकरण में प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने धारा 116 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के मेण्डेटरी प्रावधानों की पालना नही की है इसलिए इस आधार से भी प्रस्तुत प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के है। इसके अलावा इस पद मे वर्णित तमाम कथन गलत झुठे बेबुनियाद एवं आधारहीन होने से जबाब देहन्दा स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। खसरा नम्बर 323 के सहखातेदार धन्नाराम पुत्र सम्पतराज के उतराधिकारी वारिसान इस प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज के है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र गलत झुठे बेबुनियाद एव आधारहीन तथ्यो के आधार पर आधारित होने एवं मेण्डेटरी प्रावधानो की पालना के अभाव में किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नही होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी पैमाईस हेतु प्रार्थना–पत्र एवं चालान सीमांकन शुल्क पेश की गई, जो शा.मि. है।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है–

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का–फालका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर, राज0 में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 322/1 रकबा 0.7365 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के उत्तरी दिशा की तरफ अप्रार्थीगण संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 322 रकबा 0.7365 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पश्चिम तथा दक्षिण दिशा की तरफ अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 323 रकबा 1.7644 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। प्रार्थीगण की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:16:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

राजस्व रेकर्ड के नक्शे मे अलग से तरमीम है तथा मौके पर भी उक्त आराजी अलग से बंटी हुई है। जिसके चारो तरफ माठे कायम है। परन्तु अप्रार्थीगण जिसकी की कृषि भूमि प्रार्थीगण से अलग है और उसकी भूमि भी अलग से मौके पर बंटी हुई है माठ कायम है परन्तु अप्रार्थीगण बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थीगण की जमीन की मौके पर माठे तोडकर दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया एवं आये दिन सीमाज्ञान व मांठ को लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते है इसलिए प्रार्थी ने मौके की आराजी का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई जाने का निवेदन किया।

2. अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 322 जबाब देहन्दा की खातेदारी हक अधिकार की भूमि है जिसके चारों और वर्षो पूर्व मिट्टी की बड़े पाले लगाकर तारबन्दी कर पत्थरगड्डी कर रखी है और प्रार्थी एवं जबाब देहन्दा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 322/1 व 322 के मध्य वर्षो पूर्व मिट्टी के बड़े पाले लगे हुए है और जबाब देहन्दा ने अपने हक अधिकार की भूमि पर वर्षो पूर्व पटियां खडी कर तारबन्दी कर रखी है। प्रार्थीगण व जबाब देहन्दा के हक अधिकार की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड नक्शे व मौके पर अलग-अलग बंटी हुई है तथा जबाब देहन्दा के हक अधिकार एवं खातेदारी भूमि के चारों और मिट्टी के पाले लगाकर पटिया खडी कर तारबन्दी कर रखी है मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी भूमि का अपनी मर्जी अनुसार उपयोग कर काश्त करते चले आ रहे है।

3. उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के भू-नक्शे की प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आराजी की सीमाएं परस्पर लगती हुई हैं। अतः खातेदारान् के मध्य खसरा विशेष की वास्तविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादों का समाधान मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित करवाते हुए करवाया जा सकता है, ताकि काश्तकारों के मध्य अनावश्यक विवाद एवं जटिलता उत्पन्न न हो।

अतः उपर वर्णित विवेचन के आधार पर हम हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 322/1 रकबा 0.7365 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आराजी का मुताबिक जमाबंदी एवं भू-नक्शा के मौके पर नाप चौप करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण खातेदारान के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर सीमाचिन्ह अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:16:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व ग्राम फालका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील–जैतारण में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 322/1 रकबा 0.7365 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम एवं अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालन करते हुए जमाबंदी एवं भू–नक्शे के मुताबिक मौके पर नाप–चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें। प्रार्थी के हर्जे–खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक अधिरोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। यदि मौके पर खातेदारान के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जावे। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक **04/07/2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:16:01 IST
Reason: SelfAttested